

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र-136119

नीलामी सूचना

विज्ञापन संख्या: 19/2017

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के यांत्रिक अभियांत्रिकी, केन्द्रीय कार्यशाला, एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभागों में पड़े नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों की नीलामी "जहाँ है जैसी है" के आधार पर शनिवार, 04 नवम्बर, 2017 को दोपहर 11:00 बजे की जाएगी।

सामान निरीक्षण का समय	: सुबह 08:30 से 10:00 बजे
अग्रिम राशि जमा करवाने का समय	: सुबह 10:00 से 11:00 बजे
नीलामी का समय	: दोपहर 11:00 बजे से
अग्रिम राशि (बैच के हिसाब से नीलामी हेतु)	: रुपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार)
अग्रिम राशि (वजन के हिसाब से नीलामी हेतु)	: रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख)


नीलामी में केवल वही स्कैप-डीलर/पार्टनर/अधिकृत-व्यक्ति हिस्सा ले पायेंगे जिनके पास कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड, मूल रूप में और इनकी एवं नियम व शर्तों की स्वप्रमाणित प्रति होगी, जो बोली से पूर्व संस्थान में जमा कर ली जाएंगी। नीलामी के नियम व शर्तों के लिए संस्थान की वेबसाइट, www.nitkkr.ac.in पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में संस्थान के भण्डार अनुभाग में संपर्क कर सकते हैं।



कुलसचिव प्रभारी

नियम व शर्तें

1. नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों को "जहाँ है जैसी है" के आधार पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा।
2. नीलामी, ढेर/लौट के आधार पर की जाएगी। जिसमें प्रत्येक विभाग में हर ढेर/लौट को बैच और वजन के आधार पर बाँटा गया है। ठोस स्क्रेप की बोली वजन प्रति किलो के हिसाब से ली जाएगी।
3. नीलामी के ढेर/लौट को बैच और वजन के आधार पर वर्गीकृत करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग/अध्यक्ष के साथ निहित है।
4. प्रत्येक स्क्रेप-डीलर/पार्टनर/अधिकृत-व्यक्ति के पास कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड, मूल रूप में और इनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति होना आवश्यक है, जो संस्थान में जमा कर ली जाएंगी। उक्त प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि किसी भी आवेदक के प्रवेश को अस्वीकार कर सकते हैं।
5. एक जी.एस.टी. नं० पर केवल एक ही बोलीदाता को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।
6. अग्रिम राशि का भुगतान, निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के पक्ष में, कुरुक्षेत्र में देय, डीडी या नकद के रूप में होगा। अग्रिम राशि केवल सफल बोलीदाता को छोड़कर बाकी सभी को लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा जमा अग्रिम राशि मॉल उठाने तक सुरक्षित रखी जाएगी।
7. बैच के हिसाब से बोली के एवज में प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व, 40,000/- (चालीस हजार रुपये), बतौर अग्रिम राशि संस्थान में जमा करवाने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को "हथौड़े के स्ट्रोक" (प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद बोली की कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाना होगा, और सेल्स टैक्स/ जी.एस.टी., सहित, बकाया राशि (50 प्रतिशत) बोली की स्वीकृती के 4 (चार) दिनों के भीतर देय होंगे, ऐसा न करने पर संस्थान में जमा राशि जब्त की जा सकती है।
8. वजन के हिसाब से बेचे जाने वाले ठोस स्क्रेप की बोली के एवज में प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व, 2,00,000/- (दो लाख रुपये), बतौर अग्रिम राशि संस्थान में जमा करवाने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को "हथौड़े के स्ट्रोक" (प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद स्क्रेप का सटीक तोल स्थानीय धर्मकांटे पर संस्थान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करवाना होगा, जिसके खर्च का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। हर सटीक तोल का सेल्स-टैक्स/जी.एस.टी. सहित 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
9. आवश्यकता पड़ने पर स्क्रेप/माल हटाने के लिए जरूरी लेबर, हैवी फोर्कलिफ्टर/क्रैन या वेल्डिंग कटर आदि के प्रबन्ध व भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
10. बोली की स्वीकृती के बाद संस्थान से माल निर्धारित दिनों के भीतर उठाना होगा। माल न उठाने की स्थिति में संस्थान में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृती हेतु ऑफर कर ली जाएगी।
11. सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मॉल गेट पास जारी होने के बाद ही उठाया जाएगा।
12. सेल्स टैक्स/ जी.एस.टी., यदि देय है, की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। मॉल की डिलीवरी, टैक्स, की पेमेण्ट की अदायगी के बाद ही होगी।
13. नीलामी को निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी। यदि इसे पूरा नहीं किया जा सका तो आगे बढ़ाया जा सकता है।
14. निदेशक व विभागाध्यक्ष बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार या नीलामी को रद्द कर सकते हैं।
15. बोली के आवंटन के सभी अधिकार, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के पास सुरक्षित हैं।
16. किसी भी विवाद के मामले में निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र का निर्णय अंतिम होगा।


कुलसचिव प्रभारी